

[दि जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन (नम्बर 3) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ
राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के
संदाय और विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3)
अधिनियम, 2020 है ।
2. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में
विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग सत्तावन अरब, चौवन करोड़ रुपए से अनधिक
है, कतिपय प्रभारों को चुकाने के लिए अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की
बाबत, 31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी पांच मास की अवधि के
लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संदाय किए जाने
होंगे ।
3. इस अधिनियम के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से
दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत वे राशियां, जो अनुसूची में
अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, उक्त वर्ष के संबंध में विनियोजित की
जाएंगी ।

संक्षिप्त नाम ।

वित्तीय वर्ष 2019-20
के लिए जम्मू-कश्मीर
संघ राज्यक्षेत्र की
संचित निधि में से
57,54,00,00,000
रुपए का निकाला
जाना ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

अनुदान की मांग	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत व्यय	योग	
1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
1	साधारण प्रशासन विभाग	राजस्व	11,58,20,000	..	11,58,20,000
		पूंजी	6,00,00,000	..	6,00,00,000
2	गृह विभाग	राजस्व	50,12,11,000	..	50,12,11,000
		पूंजी	7,35,99,000	..	7,35,99,000
3	योजना विभाग	राजस्व	44,61,000	..	44,61,000
		पूंजी	25,77,26,000	..	25,77,26,000
5	लद्दाख कार्य विभाग	राजस्व	9,26,14,72,000	..	9,26,14,72,000
		पूंजी	38,75,17,24,000	..	38,75,17,24,000
6	विद्युत विकास विभाग	राजस्व	1,40,14,000	..	1,40,14,000
		पूंजी	68,09,63,000	..	68,09,63,000
7	शिक्षा विभाग	राजस्व	32,69,79,000	..	32,69,79,000
		पूंजी	9,24,15,000	..	9,24,15,000
8	वित्त विभाग	राजस्व	32,76,07,000	..	32,76,07,000
		पूंजी	5,14,13,000	..	5,14,13,000
10	विधि विभाग	राजस्व	12,54,91,000	..	12,54,91,000
		पूंजी	1,81,000	..	1,81,000
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	राजस्व	1,22,35,000	..	1,22,35,000
		पूंजी	63,13,50,000	..	63,13,50,000
12	कृषि विभाग	राजस्व	40,13,000	..	40,13,000
		पूंजी	35,27,47,000	..	35,27,47,000
13	पशु और भेड़ पालन विभाग	पूंजी	36,97,000	..	36,97,000
15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग	पूंजी	15,51,30,000	..	15,51,30,000
16	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	1,51,06,000	..	1,51,06,000
		पूंजी	1,50,90,36,000	..	1,50,90,36,000
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	राजस्व	1,26,23,000	..	1,26,23,000
18	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	25,10,73,000	..	25,10,73,000
		पूंजी	99,44,000	..	99,44,000
19	आवास और शहरी विकास विभाग	राजस्व	1,50,00,000	..	1,50,00,000
		पूंजी	19,19,00,000	..	19,19,00,000

1	2		3		3
			रु0	रु0	रु0
20	पर्यटन विभाग	राजस्व	5,46,09,000	..	5,46,09,000
		पूंजी	6,35,00,000	..	6,35,00,000
21	वन विभाग	राजस्व	1,47,95,000	..	1,47,95,000
		पूंजी	63,69,000	..	63,69,000
22	सिंचाई विभाग	पूंजी	48,51,29,000	..	48,51,29,000
25	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	पूंजी	4,00,000	..	4,00,000
26	मत्स्य विभाग	राजस्व	63,89,000	..	63,89,000
27	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व	3,47,98,000	..	3,47,98,000
		पूंजी	1,73,99,000	..	1,73,99,000
28	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	1,71,29,000	..	1,71,29,000
		पूंजी	2,71,90,75,000	..	2,71,90,75,000
29	परिवहन विभाग	राजस्व	2,99,08,000	..	2,99,08,000
		पूंजी	2,15,00,000	..	2,15,00,000
30	जनजातीय कार्य विभाग	राजस्व	32,26,000	..	32,26,000
31	संस्कृति विभाग	राजस्व	2,88,86,000	..	2,88,86,000
		पूंजी	1,91,12,000	..	1,91,12,000
32	उद्यान विभाग	राजस्व	8,15,000	..	8,15,000
		पूंजी	1,86,39,000	..	1,86,39,000
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग	राजस्व	6,77,00,000	..	6,77,00,000
34	युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा	राजस्व	11,10,40,000	..	11,10,40,000
		पूंजी	97,02,000	..	97,02,000
35	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
36	सहकारी विभाग	पूंजी	8,50,000	..	8,50,000
कुल योग :			57,54,00,00,000	..	57,54,00,00,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 239 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 81 के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का0आ0 3937(अ), तारीख 31.10.2019 को, तारीख 31 अक्टूबर, 2019 की उद्घोषणा के परिणामस्वरूप जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का0आ0 3938(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2019 के अनुसरण में, तारीख 31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के भाग के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि पर भारत व्यय और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के व्यय के लिए किए गए अनुदानों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशियों को, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए पुरःस्थापित किया गया है ।

निर्मला सीतारामन